



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1947 (श10)
(सं0 पटना 1408) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2025

गन्ना उद्योग विभाग

अधिसूचना

20 अगस्त, 2025

सं० सं०-01/स्था०राज०-318/2024-1251—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार ईख विकास सेवा में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-

- (1) यह नियमावली बिहार ईख विकास सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2025 कही जायेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा ।-जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो. इस नियमावली में-

- (i) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य,
- (ii) 'राज्यपाल' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल;
- (iii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
- (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गन्ना उद्योग विभाग;
- (v) 'बिहार ईख विकास सेवा' से अभिप्रेत है बिहार राज्य की बिहार ईख विकास सेवा;
- (vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार ईख विकास सेवा का संवर्ग;
- (vii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
- (viii) 'वर्ष' से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि;
- (ix) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली द्वारा यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
- (x) 'सदस्य' से अभिप्रेत है बिहार ईख विकास सेवा में नियुक्त व्यक्ति;
- (xi) 'नियुक्ति' प्राधिकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

3. **संवर्ग नियंत्रण।**— यह सेवा एक राज्य सेवा होगी तथा गन्ना उद्योग विभाग इस सेवा का नियंत्रण विभाग होगा।

4. **पद सोपान :—(1) इस संवर्ग का पद सोपान निम्नवत् होगा—**

क्र०सं०	कोटि	पदनाम
i	मूल कोटि	सहायक निदेशक, ईख विकास एवं समकक्ष पद
ii	प्रथम प्रोन्नति	उप निदेशक, ईख विकास (शष्य) एवं समकक्ष पद
iii	द्वितीय प्रोन्नति	संयुक्त निदेशक, ईख विकास (शष्य)

(2) संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल एवं वेतनमान/वेतनस्तर वही होगा जैसा समय-समय पर इस संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

5. **मूल कोटि में नियुक्ति।**—

- (1) सेवा में नियुक्ति के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा। मूल कोटि के 67 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से एवं 33 प्रतिशत पद प्रोन्नति से भरे जायेंगे।
- (2) प्रति वर्ष 1 ली अप्रैल को कोटि में स्वीकृत पदों के विरुद्ध प्रोन्नति के लिए तथा सीधी नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की गणना अलग-अलग की जायेगी। यह गणना पदों के आधार पर की जायेगी अर्थात् सीधी नियुक्ति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें सीधी नियुक्ति द्वारा तथा प्रोन्नति के पदों के रिक्त होने पर इन्हें प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। 30 अप्रैल को रिक्तियों के संबंध में आरक्षण कोटिवार अध्याचना विभाग द्वारा आयोग को प्रेषित कर दी जाएगी।
- (3) **शैक्षणिक योग्यता।**— संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होगी।
- (4) **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति।**—
 - (i) सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से की जायेगी।
 - (ii) **उम्र सीमा।**— आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के पहली अगस्त को न्यूनतम आयु 21 (इक्कीस) वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर विनिश्चित की जाय, किन्तु विशेष परिस्थिति में इसे राज्य सरकार के आदेश से बढ़ाया जा सकेगा।
 - (iii) **आरक्षण।**— सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए, समय-समय पर, अवधारित आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
 - (iv) विभाग सीधी नियुक्ति हेतु, सामान्य एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के साथ, अध्याचना प्रत्येक वर्ष आयोग को भेजेगा।
 - (v) **प्रतियोगिता परीक्षा के विषय तथा पाठ्यक्रम।**— इस नियमावली के नियम 5 (4) (i) में उल्लेखित प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों के हिन्दी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु इसका प्राप्तांक की गणना मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी। मेधा सूची कृषि विज्ञान में 200-200 अंकों के दो प्रश्न पत्रों, सामान्य ज्ञान के 100 अंकों के एक प्रश्न पत्र तथा मौखिक परीक्षा के 50 अंकों के विरुद्ध प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी। हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनिश्चित किया जाय। कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से तैयार किया जाएगा। कृषि विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान के उपरोक्त तीन पत्रों के प्राप्तांक के योग के आधार पर अभ्यर्थियों को समुचित संख्या में मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मौखिक परीक्षा 50 अंकों की होगी।
 - (vi) **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा।**— आयोग लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा तथा अध्याचना के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा विभाग को करेगा।
 - (vii) **प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति।**— बिहार ईख विकास सेवा में ईख प्रसार सेवा से कृषि स्नातक योग्यताधारी को ही प्रोन्नति दी जायेगी। बिहार ईख प्रसार सेवा में कार्यरत पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि एवं पदों की उपलब्धता आदि पर विचार करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नीति निर्धारक परिपत्रों के आलोक में वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी।

बिहार ईख विकास सेवा में नियुक्त सदस्यों के लिए प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नति के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. **परिवीक्षा**।—सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त प्रत्येक सदस्य पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. **प्रशिक्षण**।—सीधी भर्ती से नवनियुक्त पदाधिकारियों को सरकार/सा०प्र० विभाग द्वारा समय-समय यथा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक करना होगा।
8. **विभागीय परीक्षा**।— सीधी भर्ती से नवनियुक्त पदाधिकारियों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। विभागीय परीक्षा की विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा।
9. **सम्पुष्टि**।— (1) परिवीक्षा अवधि पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता तथा विनिश्चित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर तथा सेवा स्वच्छ पाये जाने पर सीधी भर्ती से नियुक्त सदस्यों की सेवा संपुष्ट की जा सकेगी।
10. **वरीयता का अवधारण**।— सदस्यों की वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित नीति के आलोक में अवधारित की जाएगी।
11. **मूल कोटि से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति**।—
 (1) सेवा संवर्ग के पदसोपान में उच्चतर पदों पर प्रोन्नति ठीक नीचे की पंक्ति में कार्यरत पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के आलोक में दी जाएगी।
 (2) कार्यरत पदाधिकारियों की मूल कोटि में सम्पुष्टि, गोपनीय अभ्युक्ति, आंतरिक स्वच्छता, निगरानी स्वच्छता एवं लोकायुक्त का प्रतिवेदन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित कालावधि आदि पर विचार करते हुए वरीयता के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रोन्नति दी जायेगी।
 (3) **विभागीय प्रोन्नति समिति**।— विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्पों/अनुदेशों के आलोक में विभाग द्वारा विभागीय प्रोन्नति समिति एक अलग आदेश से गठित किया जा सकेगा।
12. **प्रकीर्ण : कठिनाई का निराकरण**।—
 (1) इस नियमावली के नियमों का निर्वचन करने के लिए विभाग सक्षम होगा जिसके लिए, आवश्यकतानुसार, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग और वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 (2) विभाग, विधि विभाग के परामर्श से, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने में आने वाली कठिनाई का निराकरण, राजपत्र में समुचित आदेश जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, के प्रकाशन द्वारा, कर सकेगा।
 (3) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किया गया है, उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्रवृत्त संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश में समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए किये गये प्रावधान इस सेवा के संदर्भ में लागू माने जायेंगे।
13. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।—
 (1) इस संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति/सेवा शर्त संबंधी पूर्व में निर्गत सभी परिपत्र/अनुदेश/संकल्प एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व निर्गत परिपत्र/अनुदेश/संकल्प के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी। जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
 (ह०) अस्पष्ट,
 सरकार के सचिव।

The 20th August 2025

No. 01/Estb.Gazz-318/2025-1251--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following rules to regulate the Bihar Sugarcane Development Service (recruitment, promotion and service conditions):-

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) This rule shall be called Bihar Sugarcane Development Service (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules, 2025.
- (2.) It will expand throughout the state of Bihar.
- (3.) This will come into effect with immediate effect.

2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires.-

- (i) 'State' means the State of Bihar,
- (ii) 'Governor' means the Governor of Bihar;
- (iii) 'Government' means the Government of Bihar;
- (iv) 'Department' means the Sugar Industry Department of the Government of Bihar;
- (v) 'Bihar Sugarcane Development Service' means the Bihar Sugarcane Development Service of the State of Bihar;
- (vi) 'Cadre' means the cadre of the Bihar Sugarcane Development Service;
- (vii) 'Commission' means the Bihar Public Service Commission;
- (viii) 'year' means the financial year i.e. the period from 1st April to 31st March of the following year;
- (ix) 'Appointing Authority' means the appointing authority as specified by the Executive Rules;
- (x) 'Member' means a person appointed to the Bihar Sugarcane Development Service;
- (xi) 'Appointing' authority means the Government of Bihar;

3. Cadre Control.- This service will be a State service and the Sugar Industry Department will be the controlling department of this service.

4. Post level:- (1) The post level of this cadre will be as follows –

S.No.	category	Designation
i	basic grade	Assistant Director, Sugarcane Development and equivalent posts
ii	first promotion	Deputy Director, Sugarcane Development (Cultivation) and equivalent posts
iii	second promotion	Joint Director, Sugarcane Development (Cultivation)

- (2) The sanctioned strength and pay scale/pay levels of various categories of posts in the cadre shall be the same as may be sanctioned by the State Government for this cadre from time to time.

5. Appointment in Basic Category.-

- (1) It shall be compulsory for a person to be a citizen of India for appointment in the Service. 67 per cent of the posts in Basic Category shall be filled by direct recruitment and 33 per cent by promotion.
- (2) The vacancies for promotion and for direct recruitment shall be counted separately against the sanctioned posts in the category on 1st April

every year. This calculation will be done on the basis of posts, i.e. when the posts for direct appointment are vacant, these will be filled by direct appointment and when the posts for promotion are vacant, these will be filled by promotion. On April 30, the reservation category wise requisition regarding the vacancies will be sent by the department to the commission.

- (3) **Educational Qualification.-** The minimum educational qualification for direct appointment or promotion to the basic category of posts in the cadre shall be Bachelor's Degree in Agricultural Science from a recognized Agricultural University/Institute/Central University (Faculty of Agriculture).
- (4) **Appointment by direct recruitment.-**
 - (i) Direct recruitment shall be made from the candidates recommended on the basis of the competitive examination conducted by the Commission.
 - (ii) **Age limit.-** The minimum age shall be 21 (twenty one) years on the 1st August of the year in which applications are invited. The maximum age limit shall be the same as may be determined by the General Administration Department from time to time for direct recruitment in the State Government services. But in special circumstances it can be extended by order of the State Government.
 - (iii) **Reservation.-** The reservation provisions as determined by the General Administration Department, from time to time, for direct appointment to the State Government services shall apply.
 - (iv) The Department shall send the requisition for direct recruitment to the Commission every year along with the number of vacancies, general and reservation category wise.
 - (v) **Subjects and Syllabus of the Competitive Examination.-** It shall be compulsory to pass the Hindi subject of 100 marks in the competitive examination mentioned in Rule 5 (4) (i) of these Rules, but its marks will not be counted for the purpose of preparing the merit list. The merit list will be prepared on the basis of total marks obtained against two question papers of 200 marks each in Agricultural Science, one question paper of 100 marks on General Knowledge and 50 marks of oral examination. The syllabus of Hindi and General Knowledge will be the same as that decided for the combined competitive examination conducted by Bihar Public Service Commission. The syllabus of Agricultural Science will be prepared by Bihar Public Service Commission in consultation with the department. Based on the total marks obtained in the above three papers of Agricultural Science and General Knowledge, an appropriate number of candidates will be called for oral examination. The oral examination will be of 50 marks.
 - (vi) **Recommendation of candidates by the Commission.-** The Commission shall prepare the merit list on the basis of total marks obtained in the written and oral examination and shall make

recommendation to the Department category wise reservation in accordance with the requisition.

- (vii) **Appointment by promotion** - Only those possessing Agricultural Graduate qualification shall be promoted from Sugarcane Extension Service to Bihar Sugarcane Development Service. Considering the period prescribed by the General Administration Department and availability of posts etc. to the officers working in the Bihar Sugarcane Extension Service Promotion may be given on the basis of seniority-cum-merit in the light of policy making circulars issued from time to time by the General Administration Department.

It will be mandatory for the members appointed in Bihar Sugarcane Development Service to undergo training from an institute decided by the State Government at the first and second promotion level.

6. Probation.- Every member appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year from the date of joining. If the service is not satisfactory during the probation period, it may be extended for one more year, for reasons to be recorded in writing. If the service is not found satisfactory even during the extended period, the service can be terminated.

7. Training.- Officers newly appointed through direct recruitment will have to successfully undergo training as prescribed by the Government/GAD Department from time to time.

8. Departmental Examination.- Newly appointed officers through direct recruitment will have to pass the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Revenue Board. The subject, syllabus and procedure of the departmental examination can be decided by the Central Examination Committee in consultation with the department.

9. Confirmation.- (1) The services of members appointed by direct recruitment may be confirmed on completion of the probation period, passing the departmental examination and satisfactorily completing the prescribed **training programme and on their services being found clean.**

10. Determination of seniority.- The seniority of the members shall be determined in the light of the policy determined by the General Administration Department from time to time.

11. Promotion to higher posts from basic category.-

- (1) Promotion to higher posts in the hierarchy of the Service Cadre shall be given on the basis of seniority-cum-merit from the officers working in the line immediately below and in the light of orders issued by the General Administration Department from time to time.
- (2) Promotion in the basic category of working officials will be given by the competent authority on the basis of seniority, considering confirmation, confidential comments, internal cleanliness, monitoring cleanliness and Lokayukta's report, period decided by the General Administration Department, etc.
- (3) **Departmental Promotion Committee.-** The recommendation of the Departmental Promotion Committee may be considered for promotion.

In the light of the resolutions/instructions issued from time to time by the General Administration Department, the Department may constitute a Departmental Promotion Committee by a separate order.

12. Miscellaneous: Removal of Difficulty.-

- (1) The Department shall be competent to interpret the rules of these rules for which it shall be necessary to obtain consultation with the General Administration Department, Law Department and Finance Department, as necessary.
- (2) The Department may, in consultation with the Law Department, remove any difficulty arising in the application of any rule of these rules by publication of appropriate order in the Official Gazette, not inconsistent with the provisions of these rules.
- (3) In respect of those matters or points for which provision has not been made in these Rules, the provisions made by the State Government in the Code/Rules/Resolutions/Instructions for the time being in force for employees of equivalent level shall be deemed to be applicable in respect of this service.

13. Repeal and avoidance.-

- (1) All previously issued circulars/instructions/ resolutions regarding appointment/service conditions of the personnel of this cadre are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the earlier issued circular/instruction/resolution shall be deemed to have been done or taken under these rules as if these rules were in force on that day. The day when something like that was done or some such action was taken.

**By Order of the Governor of Bihar,
B. Kartikey Dhanji,
Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 1408-571+100-डी0टी0पी0 ।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>